

लेखाशास्त्र

कंपनी खाते एवं वित्तीय विवरणों का विश्लेषण

कक्षा 12 के लिए पाठ्यपुस्तक



12129



एन सी ई आर टी
NCERT

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्
NATIONAL COUNCIL OF EDUCATIONAL RESEARCH AND TRAINING

12129 – लेखाशास्त्र

कक्षा 12 के लिए पाठ्यपुस्तक

प्रथम संस्करण

जून 2007 ज्येष्ठ 1929

पुनर्मुद्रण

नवंबर 2007, दिसंबर 2008,

सितंबर 2010, जनवरी 2011

संशोधित संस्करण

मार्च 2017, मार्च 2019,

फरवरी 2020, जनवरी 2021,

फरवरी 2023 माघ 1944

पुनर्मुद्रण

मार्च 2024 चैत्र 1946

जनवरी 2025 पौष 1946

PD 25T+25T BS

© राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण
परिषद्, 2007, 2023

₹ 115.00

एन.सी.ई.आर.टी. वाटरमार्क 80 जी.एस.एम. पेपर पर
मुद्रित।

प्रकाशन प्रभाग में सचिव, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान
और प्रशिक्षण परिषद्, श्री अरविंद मार्ग, नयी
दिल्ली 110 016 द्वारा प्रकाशित तथा गोयल ऑफसेट
वर्क्स प्रा. लिमिटेड, प्लॉट नंबर 370-371, 374-375,
फेज-ट, सेक्टर-56, कुंडली, सोनीपत (हरियाणा)
द्वारा मुद्रित।

ISBN 978-93-5007-795-5

सर्वाधिकार सुरक्षित

- प्रकाशक की पूर्व अनुमति के बिना इस प्रकाशन के किसी भाग को छापना
तथा इलेक्ट्रॉनिकी, मशीनी, फोटोप्रतिलिपि, रिकॉर्डिंग अथवा किसी अन्य
विधि से पुनः प्रयोग पद्धति द्वारा उसका संग्रहण अथवा प्रसारण वर्जित है।
- इस पुस्तक को विक्री इस शर्त के साथ की गई है कि प्रकाशक की पूर्व
अनुमति के बिना यह पुस्तक अपने मूल आवरण अथवा जिल्द के अलावा
किसी अन्य प्रकार से व्यापार द्वारा उधारी पर, पुनर्विक्रय या किराए पर न
दी जाएगी, न बेची जाएगी।
- इस प्रकाशन का सही मूल्य इस पृष्ठ पर मुद्रित है। रबड़ की मुहर अथवा
चिपकाई गई पची (स्टिकर) या किसी अन्य विधि द्वारा अंकित कोई भी
संशोधित मूल्य गलत है तथा मान्य नहीं होगा।

एन.सी.ई.आर.टी. के प्रकाशन प्रभाग के कार्यालय

एन.सी.ई.आर.टी. कैपस

श्री अरविंद मार्ग

नयी दिल्ली 110 016

फ़ोन : 011-26562708

108, 100 फीट रोड

हेली एक्सप्रेसवे, होस्टेकेरे

बनाशंकरी III स्टेज

बैंगलुरु 560 085

फ़ोन : 080-26725740

नवजीवन ट्रस्ट भवन

डाकघर नवजीवन

अहमदाबाद 380 014

फ़ोन : 079-27541446

सी.डब्ल्यू.सी. कैपस

निकट : धनकल बस स्टॉप पनितरी

कोलकाता 700 114

फ़ोन : 033-25530454

सी.डब्ल्यू.सी. कॉम्प्लेक्स

मालीगाँव

गुवाहाटी 781021

फ़ोन : 0361-2674869

प्रकाशन सहयोग

अध्यक्ष, प्रकाशन प्रभाग : एम.वी. श्रीनिवासन

मुख्य संपादक : बिज्ञान सुतार

मुख्य उत्पादन अधिकारी : जहान लाल
(प्रभारी)

मुख्य व्यापार प्रबंधक : अमिताभ कुमार

संपादक : रेखा अग्रवाल

उत्पादन अधिकारी : सुनील शर्मा

आवरण

श्वेता राव

आमुख

राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा - 2005 सुझाती है कि बच्चों के स्कूली जीवन को बाहर के जीवन से जोड़ा जाना चाहिए। यह सिद्धांत किताबी ज्ञान की उस विरासत के विपरीत है जिसके प्रभाववश हमारी व्यवस्था आज तक स्कूल और घर के बीच अंतराल बनाए हुए है। नयी राष्ट्रीय पाठ्यचर्या पर आधारित पाठ्यक्रम और पाठ्यपुस्तकें इस बुनियादी विचार पर अमल करने का प्रयास हैं। इस प्रयास में हर विषय को एक मजबूत दीवार से घेर देने और जानकारी को रटा देने की प्रवृत्ति का विरोध शामिल है। आशा है कि ये कदम हमें राष्ट्रीय शिक्षा नीति (1986) में वर्णित बाल-केंद्रित व्यवस्था की दिशा में काफी दूर तक ले जाएँगे।

इस प्रयत्न की सफलता अब इस बात पर निर्भर है कि स्कूलों के प्राचार्य और अध्यापक बच्चों को कल्पनाशील गतिविधियों और सवालों की मदद से सीखने और सिखाने के दौरान अपने अनुभवों पर विचार करने का अवसर देते हैं। हमें यह मानना होगा कि यदि जगह, समय और आज़ादी दी जाए तो बच्चे बड़ों द्वारा सौंपी गई सूचना सामग्री से जुड़कर और जूझकर नए ज्ञान का सृजन करते हैं। शिक्षा के विविध साधनों एवं स्रोतों की अनदेखी किए जाने का प्रमुख कारण पाठ्यपुस्तक को परीक्षा का एकमात्र आधार बनाने की प्रवृत्ति है। सर्जना और पहल को विकसित करने के लिए ज़रूरी है कि हम बच्चों को सीखने की प्रक्रिया में पूरा भागीदार मानें और बनाएँ, उन्हें ज्ञान की निर्धारित खुराक का ग्राहक मानना छोड़ दें।

ये उद्देश्य स्कूल की दैनिक जिंदगी और कार्यशैली में काफी फेरबदल की माँग करते हैं। दैनिक समय-सारणी में लचीलापन उतना ही ज़रूरी है जितनी वार्षिक कैलेंडर के अमल में चुस्ती, जिससे शिक्षण के लिए नियत दिनों की संख्या हकीकत बन सके। शिक्षा और मूल्यांकन की विधियाँ भी इस बात को तय करेंगी कि यह पाठ्यपुस्तक स्कूल में बच्चों के जीवन को मानसिक दबाव तथा बोरियत की जगह खुशी का अनुभव कराने में कितनी प्रभावी सिद्ध होती है। बोझ की समस्या से निपटने के लिए पाठ्यक्रम निर्माताओं ने विभिन्न चरणों में ज्ञान का पुनर्निर्धारण करते समय बच्चों के मनोविज्ञान एवं अध्यापन के लिए उपलब्ध समय का ध्यान रखने की पहले से अधिक सचेत कोशिश की है। इस कोशिश को और गहराने के यत्न में यह पाठ्यपुस्तक सोच-विचार और विस्मय, छोटे समूहों में बातचीत एवं बहस और हाथ से की जाने वाली गतिविधियों को प्राथमिकता देती है।

एन.सी.ई.आर.टी. इस पुस्तक की रचना के लिए बनाई गई पाठ्यपुस्तक निर्माण समिति के परिश्रम के लिए कृतज्ञता व्यक्त करती है। परिषद् सामाजिक विज्ञान पाठ्यपुस्तक सलाहकार समिति के अध्यक्ष प्रोफ़ेसर हरि वासुदेवन और इस पाठ्यपुस्तक समिति के मुख्य सलाहकार प्रोफ़ेसर आर. के. ग़ोवर की विशेष आभारी है। इस पाठ्यपुस्तक के विकास में कई शिक्षकों ने योगदान दिया, इस योगदान को

संभव बनाने के लिए हम उनके प्राचार्यों के आभारी हैं। हम उन सभी संस्थाओं और संगठनों के प्रति कृतज्ञ हैं जिन्होंने अपने संसाधनों, सामग्री और सहयोगियों की मदद लेने में हमें उदारतापूर्वक सहयोग दिया। हम माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा प्रोफ़ेसर मृणाल मीरी एवं प्रोफ़ेसर जी.पी. देशपांडे की अध्यक्षता में गठित निगरानी समिति (मॉनिटरिंग कमेटी) के सदस्यों को अपना मूल्यवान समय और सहयोग देने के लिए धन्यवाद देते हैं। व्यवस्थागत सुधारों और अपने प्रकाशनों में निरंतर निखार लाने के प्रति समर्पित एन.सी.ई.आर.टी. टिप्पणियों एवं सुझावों का स्वागत करेगी जिनसे भावी संशोधनों में मदद ली जा सके।

नयी दिल्ली
20 नवंबर 2006

निदेशक
राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्

पाठ्यपुस्तकों में पाठ्य सामग्री का पुनर्संयोजन

कोविड-19 महामारी को देखते हुए, विद्यार्थियों के ऊपर से पाठ्य सामग्री का बोझ कम करना अनिवार्य है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 में भी विद्यार्थियों के लिए पाठ्य सामग्री का बोझ कम करने और रचनात्मक नज़रिए से अनुभवात्मक अधिगम के अवसर प्रदान करने पर ज़ोर दिया गया है। इस पृष्ठभूमि में, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् ने सभी कक्षाओं में पाठ्यपुस्तकों को पुनर्संयोजित करने की शुरुआत की है। इस प्रक्रिया में रा.शै.अ.प्र.प. द्वारा पहले से ही विकसित कक्षावार सीखने के प्रतिफलों को ध्यान में रखा गया है।

पाठ्य सामग्रियों के पुनर्संयोजन में निम्नलिखित बिंदुओं को ध्यान में रखा गया है—

- एक ही कक्षा में अलग-अलग विषयों के अंतर्गत समान पाठ्य सामग्री का होना;
- एक कक्षा के किसी विषय में उससे निचली कक्षा या ऊपर की कक्षा में समान पाठ्य सामग्री का होना;
- कठिनाई स्तर;
- विद्यार्थियों के लिए सहज रूप से सुलभ पाठ्य सामग्री का होना, जिसे शिक्षकों के अधिक हस्तक्षेप के बिना, वे खुद से या सहपाठियों के साथ पारस्परिक रूप से सीख सकते हों;
- वर्तमान संदर्भ में अप्रासंगिक सामग्री का होना।

वर्तमान संस्करण, ऊपर दिए गए परिवर्तनों को शामिल करते हुए तैयार किया गया पुनर्संयोजित संस्करण है।

भारत का संविधान उद्देशिका

हम, भारत के लोग, भारत को एक ¹[संपूर्ण प्रभुत्व-संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य] बनाने के लिए, तथा उसके समस्त नागरिकों को :

सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय,
विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म
और उपासना की स्वतंत्रता,
प्रतिष्ठा और अवसर की समता

प्राप्त कराने के लिए,
तथा उन सब में

व्यक्ति की गरिमा और ²[राष्ट्र की एकता
और अखंडता] सुनिश्चित करने वाली बंधुता
बढ़ाने के लिए

दृढ़संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख
26 नवंबर, 1949 ई. को एतद्वारा इस संविधान को
अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं।

1. संविधान (बयालीसवां संशोधन) अधिनियम, 1976 की धारा 2 द्वारा (3.1.1977 से) "प्रभुत्व-संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य" के स्थान पर प्रतिस्थापित।
2. संविधान (बयालीसवां संशोधन) अधिनियम, 1976 की धारा 2 द्वारा (3.1.1977 से) "राष्ट्र की एकता" के स्थान पर प्रतिस्थापित।

पाठ्यपुस्तक निर्माण समिति

अध्यक्ष, सामाजिक विज्ञान पाठ्यपुस्तक सलाहकार समिति

हरि वासुदेवन, प्रोफेसर, इतिहास विभाग, कलकत्ता विश्वविद्यालय, कोलकाता

मुख्य सलाहकार

आर. के. ग्रोवर, प्रोफेसर (सेवानिवृत्त), स्कूल आफ मैनेजमेंट स्टडीज़, इग्नू, नयी दिल्ली।

सदस्य

एच.वी. झांब, रीडर, खालसा कॉलेज, दिल्ली विश्वविद्यालय

एन. के. ककड़, निदेशक, महाराजा अग्रसेन इंस्टीट्यूट आफ मैनेजमेंट, रोहणी, नयी दिल्ली

एस.एस. सहरावत, सहायक आयुक्त, केंद्रीय विद्यालय संगठन, चंडीगढ़

एस.सी.हुसैन, प्रोफेसर, वाणिज्य विभाग, जामिया मिल्लिया इस्लामिया, नयी दिल्ली

ओबल रेड्डी, प्रोफेसर, वाणिज्य विभाग, उस्मानिया विश्वविद्यालय, हैदराबाद, आंध्र प्रदेश

डी. के. वेद, प्रोफेसर, सामाजिक विज्ञान एवं मानविकी शिक्षा विभाग, एन.सी.ई.आर.टी. नयी दिल्ली

दीपक सहगल, रीडर, दीन दयाल उपाध्याय कॉलेज, दिल्ली विश्वविद्यालय

दिनकर देव हांडा, पीजीटी वाणिज्य, रोहतगी ए.वी. उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, नयी सड़क, दिल्ली

राजेश बंसल, पीजीटी वाणिज्य, रोहतगी ए.वी. उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, नयी सड़क, दिल्ली

वनिता त्रिपाठी, लेक्चरर, वाणिज्य विभाग, दिल्ली स्कूल आफ इकॉनॉमिक्स, दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली

सविता शंगारी, पीजीटी वाणिज्य, ज्ञान भारती स्कूल, साकेत, नयी दिल्ली

सुधीर सपरा, पीजीटी वाणिज्य, केंद्रीय विद्यालय, सुलतानपुर, उत्तर प्रदेश

हिंदी अनुवाद

अमर सिंह सचान, अनुवादक, आर. के. पुरम, नयी दिल्ली

राजेश बंसल, पीजीटी वाणिज्य, रोहतगी ए.वी. उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, नयी सड़क, दिल्ली

सदस्य-समन्वयक

शिप्रा वैद्या, एसोसिएट प्रोफेसर (वाणिज्य), सामाजिक विज्ञान एवं मानविकी शिक्षा विभाग, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, नयी दिल्ली

आभार

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्, इस पुस्तक के निर्माण एवं पुनरीक्षण में सहयोग देने हेतु पाठ्यपुस्तक निर्माण समिति का आभार व्यक्त करती है।

परिषद्, सविता सिन्हा, प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष, सामाजिक विज्ञान शिक्षा विभाग के प्रति भी अपनी कृतज्ञता अर्पित करती है, जिन्होंने इस पाठ्यपुस्तक को पूर्ण रूप देने में अपना अमूल्य योगदान दिया। हम उन सभी वाणिज्य शिक्षकों के भी आभारी हैं, जिन्होंने इस पाठ्यपुस्तक की क्यू.आर. कोड की अतिरिक्त पाठ्य सामग्री तैयार करने में अपना योगदान दिया है। क्यू.आर. कोड में दी गई विषय सामग्री को ई-पाठशाला ऐप की सहायता से पढ़ा जा सकता है।

परिषद्, विभाग के डी.टी.पी. सहयोग हेतु अपना हार्दिक आभार ज्ञापित करती है, जिन्होंने इस पाठ्यपुस्तक को पूर्ण रूप देने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। इसी संदर्भ में प्रकाशन प्रभाग, एन.सी.ई.आर.टी. का सहयोग भी उल्लेखनीय एवं सराहनीय है।

वर्ष 2011 में लागू की गयी कंपनी अधिनियम 1956 की संशोधित अनुसूची VI (वर्तमान में कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची III) के अनुसार भारतीय कंपनियों द्वारा तैयार किए गए वित्तीय विवरणों के प्रारूप और प्रदर्शन में बदलाव किया गया है जिसमें तुलन-पत्र और लाभ व हानि विवरण के विशेष संदर्भ में दर्शायी जाने वाली परिसंपत्तियों और देयताओं के सुनिश्चित वर्गीकरण एवं नामावली में परिवर्तन प्रमुख हैं। यह पाठ्यपुस्तक 16 अगस्त, 2019 तक लाए गए लेखांकन व्यवहारों पर तैयार की गई है।

इस संदर्भ में अपनाए गए नवीन लेखांकन व्यवहारों से प्रभावित निगम वित्तीय प्रतिवेदनों के वर्गीकृत प्रकटन के परिणामस्वरूप इस पाठ्यपुस्तक के संशोधन हेतु सभी वित्तीय विवरणों को निर्धारित प्रारूप में तैयार किया है।

एन.सी.ई.आर.टी. भावी संशोधनों हेतु इस प्रकाशन में सुधार लाने के लिए टिप्पणियों एवं सुझावों का स्वागत करेगी।

विषय-सूची

आमुख	iii
पाठ्यपुस्तकों में पाठ्य सामग्री का पुनर्संयोजन	v
अध्याय 1 अंशपूँजी के लिए लेखांकन	1
1.1 कंपनी की विशेषताएँ	1
1.2 कंपनी के प्रकार	2
1.3 कंपनी की अंशपूँजी	3
1.4 अंशों की श्रेणियाँ एवं प्रकृति	6
1.5 अंशों का निर्गमन	7
1.6 लेखांकन व्यवहार	8
1.7 अंशों का हरण	39
अध्याय 2 ऋणपत्रों का निर्गम एवं मोचन	77
उपखंड-I	
2.1 ऋणपत्र का आशय	77
2.2 अंश और ऋणपत्र के बीच अंतर	78
2.3 ऋणपत्रों के प्रकार	78
2.4 ऋणपत्रों का निर्गम	80
2.5 अधि-अभिदान	88
2.6 रोकड़ के अतिरिक्त अन्य प्रतिफल पर ऋणपत्रों का निर्गमन	89
2.7 ऋणपत्रों का संपार्श्विक प्रतिभूति के रूप में निर्गमन	97
2.8 ऋणपत्रों को निर्गमित करने की शर्तें	101
2.9 ऋणपत्रों पर ब्याज	108
2.10 ऋण पत्र निर्गम पर बट्टा/हानि का अपलेखन	110
अध्याय 3 कंपनी के वित्तीय विवरण	121
3.1 वित्तीय विवरणों का अर्थ	121
3.2 वित्तीय विवरणों की प्रकृति	122
3.3 वित्तीय विवरणों के उद्देश्य	123
3.4 वित्तीय विवरणों के प्रकार	124
3.5 वित्तीय विवरणों की उपयोगिता एवं महत्त्व	143
3.6 वित्तीय विवरणों की सीमाएँ	144

अध्याय 4 लेखांकन अनुपात	149
4.1 लेखांकन अनुपात का अर्थ	149
4.2 अनुपात विश्लेषण के उद्देश्य	150
4.3 अनुपात विश्लेषण के लाभ	151
4.4 अनुपात विश्लेषण की सीमाएँ	152
4.5 अनुपातों के प्रकार	153
4.6 द्रवता अनुपात	154
4.7 ऋण शोधन क्षमता अनुपात	160
4.8 क्रियाशीलता (या आवर्त) अनुपात	169
4.9 लाभ प्रदत्ता अनुपात	178
अध्याय 5 रोकड़ प्रवाह विवरण	197
5.1 रोकड़ प्रवाह विवरण के उद्देश्य	198
5.2 रोकड़ प्रवाह विवरण के लाभ	198
5.3 रोकड़ एवं रोकड़ तुल्यराशियाँ	199
5.4 रोकड़ प्रवाह	199
5.5 रोकड़ प्रवाह विवरण को तैयार करने हेतु क्रियाकलापों का वर्गीकरण	199
5.6 प्रचालन क्रियाकलापों से रोकड़ प्रवाह की गणना	205
5.7 निवेश एवं वित्तीय क्रियाकलापों से रोकड़ प्रवाह की गणना	214
5.8 रोकड़ प्रवाह विवरण का निर्माण	217